

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 05/2019

GCMS No-2019/00016

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा
अधिकारी, कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
पाली

गौतम पुत्र आसुराम विश्नोई (विक्रेता व
मालिक) मैसर्स-गुरु कृपा डेयरी फार्म, मैन
बाजार पावा तहसील सुमेरपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

1. प्रार्थी अनुपस्थित
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण चौधरी

—: निर्णय :-

दिनांक : 24/03/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण बहस एकपक्षीय सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 27.02.2018 को प्रार्थी ने दौराने गस्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स गुरु कृपा डेयरी फार्म, मैन बाजार पावा तहसील सुमेरपुर जिला पाली पर पहुँचा, वहाँ पर गौतम पुत्र आसुराम विश्नोई (विक्रेता व मालिक) को घी की बिक्री करते हुए पाया। अप्रार्थी की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया की आमजन में विक्रय हेतु एक स्टील की बरनी में लगभग 40 किलो घी भरा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक हुआ तो रूबरू गवाहान प्रपत्र 5 ए भरकर दिया, जिस पर प्रार्थी, गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात 1 किलो 600 ग्राम घी को वास्ते जांच क्रय किया, उक्त क्रयसुदा को घी को चार साफ सूखी व खाली शीषी में चार भागों में 400-400 ग्राम मात्रा में विभक्त कर कोड व सिरियल नम्बर आर-768 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./253/एक्ट/2018/272 दिनांक 05.04.2018 के अनुसार प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी को Sub-Standard का होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा sub-standard खाद्य घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा घी अलग-अलग गांवों से व अलग-अलग व्यक्तियों से क्रय किया जाकर बेचाण किया जाता है, इस कारण घी की गुणवत्ता अलग-अलग हो सकती है। अप्रार्थी ने उक्त घी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की है। अप्रार्थी भविष्य में गुणवत्ता अनुरूप ही घी का विक्रय करेंगे। अतः कम से कम जुर्माना अधिरोपित कराने का आदेश फरमावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.02.2018 को दौराने गस्त अप्रार्थीगण की फर्म मैसर्स गुरु कृपा डेयरी फार्म, मैन बाजार पावा तहसील सुमेरपुर जिला पाली पर गया तो, वहां पर अप्रार्थी उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5-ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थीगण की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.02.2018 को घी को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-768 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./253/एक्ट/ 2018/272 दिनांक 05.04.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-768 को "The sample of Ghee bearing Code no. and Sr. No. R-768 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali is Sub-Standard as it does not conform to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011." माना है। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा घी का विक्रय किया गया, जिसका नमूना जांच में Sub-Standard पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard घी का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या पर 50,000/- अक्षरे पच्चास हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(चन्द्रभान सिंह भाटी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 24/03/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली